



F-07-07

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1940 / Type Approval No. 1940

मद/FOR ITEM: मद/FOR ITEM: ईएमबी 145 आई हेतु प्राइमरी रेडार - एईडब्ल्यू एंड सी वायुयान
Primary Radar for EMB 145I - AEW&C Aircraft

यह प्रमाणित किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रेडार विकास स्थापना (एल आर डी ई), डी आर डी ओ, बेंगलूरु-560 093, द्वारा अभिकल्पित और विकसित तथा निम्नलिखित सूची में दर्शाई गई फर्मों द्वारा उत्पादित ए ई डब्ल्यू एंड सी के "प्राइमरी रेडार के स्वदेशीकृत एल आर यू" को उत्पादन तथा ईएमबी 145आई - एईडब्ल्यू एंड सी वायुयान में उपयोग हेतु अनुमोदित किया जाता है। पार्ट संख्याओं सहित एल आर यू और अनुप्रयुक्त एस ओ पी का विवरण परिशिष्ट - 'ए1' और 'ए2' में दिया गया है। ये एल आर यू परिशिष्ट - 'ए1' और 'ए2' में सूचित संबंधित तकनीकी विनिर्देश और क्वालिफिकेशन टेस्ट प्लान दस्तावेजों की अनुप्रयुक्त आवश्यकताओं के अनुसार परीक्षित और कम्प्लायन्स सत्यापित किए गए हैं।

This is to certify that the "The Indigenous LRUs of PRIMARY RADAR" of AEW&C designed and developed by LRDE, DRDO and manufactured by firms as per list given below, are hereby approved for production and use on EMB 145I - AEW&C Aircraft. The details of LRUs with Part Nos. and applicable SOPs are listed in Appendices A1 & A2. These LRUs have been tested and compliance has been verified as per the applicable requirements laid out in respective Technical Specification and Qualification Test Plan documents as listed in Appendices A1 & A2.

Sl No.	Name	Part No.	Designed & Developed by	Manufactured by	Type Record Compliance
1	Radar Processing Unit (RPU)	LRDE-VPX (ATS-2038)	LRDE, DRDO Bangalore	M/s Mistral Solutions, Bangalore	Appendix A1
2	S-Band RF Unit (Central Unit (CU))	RF 332LRD	LRDE, DRDO Bangalore	M/s Astra Microwave Products Ltd., Hyderabad	Appendix A2

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखनसंविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए। ,

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2020 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता, और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ समूह निदेशक (प्रणाली), सेमिलैक, से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st December 2020 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request G.D (Systems), CEMILAC for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र सेमिलैक(केंबंगलूर ,(- 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037 will have to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency.

5. यह वर्ग अनुमोदन जी.थोक उत्पादन के लिए डी ,ए.क्यू.भारत सरकार द्वारा ,रक्षा मंत्रालय ,ए.ा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए'/Appendix- 'A1' & Appendix-'A2'

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1940

दिनांक/Date : 08 January 2018

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

K. R.

P. Jayapal

पी जयपाल / P.JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक (उडनयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)